कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक 92 /प्रवाचक/2020 सिंगरौली, दिनांक 09 जुलाई, 2020

प्रति,

संयुक्त संचालक,
संजय टाइगर रिजर्व,
सीधी (म0प्र0)

विषय:- वन मंडल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक RF-338, RF-358 एवं PF- 315 के रकबा 226.349 हे0 वन भूमि तथा तहसील सरई के अंतर्गत विभिन्न खसरों की 32.89 हे0 राजस्व वन भूमि को मिलाकर कुल 259.239 हे0 भूमियों में सुलियरी ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन कार्य- द आंध्र प्रदेश मिनेरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 67/प्रवाचक/2020 दिनांक 6.6.2020 एवं आपका पत्र क्रमांक मा0चि0/2020/3154 सीधी दिनांक 19.6.2020

कृपया सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करेंगे। सुलियरी कोल माइन से प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमियों के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चितरंगी तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल अंतर्गत पूर्व में प्रस्तावित 338.929 हेक्टर शासकीय भूमियों में से आपके द्वारा 187.335 हेक्टर भूमियों को छोंड़कर शेष भूमियों को वनखण्ड की भूमियॉ होना बताया गया है और इस कारण वन विभाग को अंतरित किए जाने हेतु 71.904 हेक्टर अन्य राजस्व भूमियॉ प्रस्तावित किए जाने की अपेक्षा की गई है। तद्नुसार उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा जांच कराई जाकर चितरंगी तहसील के राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल अंतर्गत ग्राम हरमा एवं ग्राम बीछी में नीचे दी गई सूची के अनुसार 77.43 हेक्टर राजस्व भूमियों का चयन किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सूची

ग्राम का नाम	बन्दोवस्त के पूर्ववर्ती खसरा नंबरान	बन्दोवस्त में निर्मित नवीन खसरा नंबरान	नवीन खसरा नंबरों का कुल रकबा (हे0)	वन भूमि से मुक्त रकबा जो वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को दिया जा सकेगा (हे0)
1	2	3	4	5
हरमा	159 टु0	507	15.68	13.17

(क्रमशः)

Tel : (कार्या.) 07805-234541, (निवास) 244110, फैक्स : 07805-234540, Email : dmsingrauli@mp.gov.in

1	2	3	4	5
हरमा	172 टु0	560	10.84	10.84
		632	3.57	3.50
		633	0.66	0.66
		634	20.12	18.00
		योग	**50.87**	**46.17**
बीछी	31, 38, 39, 40, 45	115	2.32	2.32
	80 टु0, 86 टु0, 87, 162, 17, 172 टु0, 173 टु0, 174, 191, 192, 200, 5, 51	146	23.05	22.00
	325 टु0	395	0.85	0.85
		396	0.73	0.73
		397	0.36	0.36
		398	1.21	1.20
		399	3.25	3.20
	324 टु0	400	0.27	0.27
	287	402	0.33	0.33
		योग	**32.37**	**31.26**
		दोनों ग्रामों का कुल योग	**83.24**	**77.43**

प्रस्तुत प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित भूमियॉ आपके संदर्भित पत्र दिनांक 19.6.2020 में वर्णित मापदण्डों को पूरा करती हैं। ऐसी स्थिति में अंतरित की जाने हेतु विचाराधीन कुल 259.239 हेक्टर क्षेत्र की पूर्ति हेतु 187.335 हेक्टर पूर्व में प्रस्तावित भूमियों के अतिरिक्त आवश्यक 71.904 हेक्टर भूमियॉ उक्त सूची में वर्णित भूमियों में से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जा सकेंगी। तद्नुसार प्रस्तावित है।

2- यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि वर्तमान में म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के नाम अभिलेखों में दर्ज भूमियों जिन्हें पूर्व में कभी वनखण्ड के रूप में वन विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाना आपके द्वारा बताया जा रहा है, उनसे संवंधित वन विभाग की अधिसूचनाओं का कोई उल्लेख आपके किसी भी पत्र में नहीं किया गया है, न ही ऐसी किसी अधिसूचना की प्रति ही इस कार्यालय को भेजी गई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि संवंधित भूमियॉ वनखण्डों के रूप में विभाग द्वारा किसी/किन्हीं अधिसूचना/अधिसूचनाओं के तहत अधिसूचित की जा चुकी हैं, तो फिर अब तक संवंधित भूमियॉ राजस्व के अभिलेखों में क्यों दर्ज होती चली आ रही हैं। वन खण्ड घोषित किए जाने के उपरान्त ऐसी भूमियों के संवंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित कार्यवाही के संदर्भ में भी कोई

(क्रमशः)

उल्लेख आपके पत्रों में नहीं किया गया है। अतएव कृपया उपरोक्तानुसार वन खण्ड के रूप में अधिसूचित समस्त भूमियों के संवंध में वन विभाग की संवंधित अधिसूचनाओं की प्रतियॉं संवंधी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत कराते हुए समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे, ताकि अभिलेखीय प्रविष्टियों का यथास्थिति शुद्ध रूप से संधारण हो सके।

(राजीव रंजन मीना)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 93 /प्रवाचक/2020 सिंगरौली, दिनांक 09 जुलाई, 2020
प्रतिलिपि:-

1- वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। निर्देशित किया जाता है कि वन विभाग की संवंधित अधिसूचनाएँ जिनके तहत शासकीय राजस्व भूमियों को वन खण्ड अधिसूचित किया जाना बताया गया है, की प्रतियॉं प्राप्त करते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आपके स्तर से अपेक्षित समस्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए अभिलेखीय प्रविष्टियों को दुरूस्त कराया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)